न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **251/2012**
GCMS No. : **2016/00521**

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र निहालसिंह जाति–
राजपूत निवासी– गोपालपुरा(बाबरा)
रायपुर हाल– रास, तहसील – जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 29.11.2012

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 25/02/2021**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा– रास प्रथम, तहसील– जैतारण में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 315/6, रकबा 00–02 बीघा, किस्म– बारानी दोयम, लगान 0.02 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतू विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 0–02 बीघा किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टॉवर लगाकर औधोगिक उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा– सरहद मौजा– रास प्रथम, तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 315/6, रकबा 00–02 बीघा, किस्म– बारानी दोयम, लगान 0.02 प्रतिवर्ष आई हुई है। जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 22.11.2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। जवाब कार्यवाही पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण की सुनी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:45 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक दव F 10(147) UDH/3/2008 PART दिनांक 06.02.2017 के बिंदू संख्या 03(10) के अनुसार मोबाईल टॉवर अस्थाई प्रकृति की संरचना होनें से एवं दूरसंचार सेवा एक अत्यावश्यक प्रकृति की सेवा होने से इसकी स्थापना एवं परिचालन के लिए भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार, जैतारण द्वारा सरहद मौजा रास प्रथम के खसरा नम्बर 315/6, रकबा 00–02 बीघा,

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

किस्म– बारानी दोयम, के खातेदारान एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होनें, विधि द्वारा बाधित होनें एवं संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज करना विधिसंगत है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाम प्रतिवादीगण सारहीन होनें, संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होनें एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:45 IST
Reason: SelfAttested